



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला राजस्व शाखा)

ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक...1608.../रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
सरिया।

गिरिडीह, दिनांक 13 सितम्बर, 2024

विषय : बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द संबंधी अभिलेखों का प्रेषण।

प्रसंग:- सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2074/रा0 राँची, दिनांक 13.05.2016 एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-6144/रा0, दिनांक-21.12.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय निदेश/संकल्प के अनुरूप नियमानुसार जमाबंदी रद्द करने संबंधी स्पष्ट अनुशंसा नहीं रहने के कारण निम्नांकित मूल अभिलेख वापस किया जाता है:-

क्र0	अभिलेख सं0 एवं वर्ष	पक्षकार	पता	अभ्युक्ति
01	136/2018-19	मोहन महतो पिता तिलक महतो के वशंज इन्द्रदेव यादव वगैरह पिता स्व0 शुकर यादव	साकिन बाल्हेडीह	
02	199/2018-19	कारु सोनार पिता थारु सोनार	साकिन बडकी सरिया	
03	148/2018-19	शंकर साव पिता बेंगा साव	साकिन बडकी सरिया	
04	162/2018-19	कान्ता देवी पिता रामकृष्ण मोदी	साकिन बडकी सरिया	
05	166/2018-19	विजयकान्त वर्णवाल पिता बंशी मोदी	साकिन बडकी सरिया	
06	170/2018-19	सीलाजीत पिता ठाकुर नाथ	साकिन बडकी सरिया	
07	188/2018-19	अनिता देवी पति विजय प्रसाद	साकिन बडकी सरिया	
08	190/2018-19	देवकी देवी पति रामदेव मोदी	साकिन बडकी सरिया	
09	182/2018-19	पियारी तेली पति झरी तेली	साकिन बडकी सरिया	
10	175/2018-19	संगीता देवी पति सुबोध कुमार	साकिन बडकी सरिया	

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वसभाजन

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।
13.09.24

ज्ञापांक 1608/रा. दिनांक 13 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

13.09.2024